लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 ग्रासिम सीमेंट द्वारा ग्राम रावन, तहसील सिमगा, जिला रायपुर (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित परियोजना (सीमेंट प्लांट – 3.3 एम.टी.पी.ए. से 6.5 एम.टी.पी.ए., क्लिंकर – 2.1 एम.टी.पी.ए. से 6.5 एम.टी.पी.ए., कैप्टिव पॉवर प्लांट – 30 मेगावॉट से 80 मेगावॉट) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 10.11.2010 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

मे0 ग्रासिम सीमेंट द्वारा ग्राम रावन, तहसील सिमगा, जिला रायपुर (छ.ग.) में इंटीग्रेटेड सीमेंट प्रोजेक्ट के क्षमता विस्तार के तहत् सीमेंट प्लांट – 3.3 एम.टी.पी.ए. से 6.5 एम.टी.पी.ए., क्लिंकर – 2.1 एम.टी.पी.ए. से 6.5 एम.टी.पी.ए., कैप्टिव पॉवर प्लांट – 30 मेगावॉट से 80 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर एवं टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 10.11.2010 दिन बुधवार को दोपहर 12:00 बजे ग्राम पंचायत भवन खपराडीह के मैदान में तहसील सिमगा, जिला रायपुर में सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई।

इसी स्थल पर उद्योग की लाईम स्टोन माईन के क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये दोपहर 03:00 बजे से लोक सुनवाई नियत की गई थी। उद्योग की प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजनाओं 1 सीमेंट प्लांट 2 लाईम स्टोन माईन के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 10.11.2010 को अपर कलेक्टर बलौदाबाजार श्री के एल. चौहान, जिला रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान श्री आर.के. शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी, श्री कुजांम एस.डी.एम., श्री परिहार उप–पुलिस अधीक्षक, डॉ0 एस.के. उपाध्याय मुख्य रसायनज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि श्री एस.एम. तिवारी, श्री कृष्णा पाढ़ी, श्री रविकांत शुक्ला एवं श्री के.वी. रेड्डी तथा मान्नीय विधायका श्रीमति लक्ष्मी बघेल, मान्नीय विधायक श्री राजकमल सिंघानिया, जिला पंचायत की मान्नीय अध्यक्षा श्रीमति लक्ष्मी वर्मा, जनपद पंचायत की मान्नीय अध्यक्षा श्रीमति अदिति बाघमार, जिला पंचायत के मान्नीय सदस्य, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के गांवों के किसान आदि लगभग एक हजार जनसामान्य उपस्थित थे।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 12:00 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. अपर कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने लोक सुनवाई हेतु आये मान्नीय जनप्रतिनिधियों एवं किसानों का स्वागत करते हुये कहा कि यह जन सुनवाई मे0 ग्रासिम सीमेंट द्वारा इंटीग्रेटेड सीमेंट प्रोजेक्ट के क्षमता विस्तार के तहत् सीमेंट प्लांट – 3.3 एम.टी.पी.ए. से 6.5 एम.टी.पी.ए., क्लिंकर – 2.1 एम.टी.पी.ए. से 6.5 एम.टी.पी.ए., कैप्टिव पॉवर प्लांट – 30 मेगावॉट से 80 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् है। यह पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई है। उन्होंने जन प्रतिनिधियों एवं किसानों से कहा कि आप जो भी बात रखेंगे, उसे पर्यावरण विभाग के अधिकारी जो यहां उपस्थित हैं, उसे नोट करेंगे तथा आपकी शंकाओं का जवाब देंगे। नियम के प्रावधानों के अनुसार सर्वप्रथम कंपनी जो परियोजना स्थापित करना चाहती है, उससे पर्यावरण पर, पेयजल इत्यादि पर क्या–क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या–क्या फायदे और घाटे होंगे, वह सभी एल.सी.डी.

प्रोजेक्टर से प्रदर्शित कर पहले सम्मानीय जन प्रतिनिधियों को बताया जायेगा, तत्पश्चात उनके मन की जो भी बातें हों, उनकी जो भी शंकायें हों, या कोई भी बात नोट कराना चाहतें हों, दर्ज कराना चाहते हों, उसे दर्ज कर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तक पंहुचाया जायेगा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कंपनी जो क्षमता विस्तार करना चाहती है, उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे ग्रासिम सीमेंट के अधिकारी हिन्दी में बतायेंगे, ताकि सभी किसान स्पष्ट ढंग से समझ सकें। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान, यदि किसी के मन में कोई शंका आती है, तो उसे नोट कर लेंगें। पहले इनको समझें कि, ये क्या कहना चाहतें हैं, इसकी बाद आपनी बात रखें।

4. **उद्योग प्रतिनिधि श्री रविकांत शुक्ला** ने परियोजना के संबन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि, यह परियोजना एक प्रस्तावित ब्राउन फील्ड इन्टिग्रेटेड सीमेन्ट परियोजना है जिसमे क्षमता विस्तार किया जा रहा है। जिससे क्लिंकर 2.1 से 6.5 मिलियन टन प्रति वर्ष, सीमेन्ट 3.3 से 6.5 मिलियन टन प्रति वर्ष एवं केप्टीव पावर प्लांट 30 से 80 मेगावाट हो जायेगा। उन्होने बताया कि प्रस्तावित ब्राउन फील्ड इन्टिग्रेटेड सीमेन्ट परियोजना क्षमता विस्तार ग्रासिम सीमेन्ट के मौजूदा सीमेन्ट संयत्र परिसर मे ही किया जायेगा। श्री शुक्ला ने यह बताया कि मौजूदा सीमेन्ट संयत्र एवं कैप्टीव पॉवर प्लान्ट के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण स्वीकृति एवं छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से मंजूरी प्राप्त कर वर्तमान क्षमता के अनुरूप कार्यरत है।

प्रस्तावित परियोजना में किसी भी तरह की भूमि का क्रय अथवा अधिग्रहण नही किया जायेगा। इस परियोजना में क्लिंकर उत्पादन जो वर्तमान में 2.1 एम.टी.पी.ए है से बढाकर 6.5 एम.टी.पी.ए, सीमेन्ट उत्पादन वर्तमान में 3.3 एम.टी.पी.ए से बढाकर 6.5 एम.टी.पी.ए एवं केप्टीव थर्मल पॉवर प्लान्ट जिसकी वर्तमान क्षमता 30 मेगावाट से बढाकर 80 मेगावाट किया जायेगा। श्री शुक्ला ने बताया कि परियोजना क्षेत्र की समुद्र स्थल से उँचाई 265–284 एम.एस.एल, निकटतम रेलवे स्टेशन भाटापारा 17 कि.मी., निकटतम हवाई अड्डा रायपुर 85 कि.मी., निकटतम राष्ट्रीय राज्य मार्ग नं. 6 से करीब 70 किमी. दूरी पर स्थित है। परियोजना के कुल लागत रूपये 950 करोड़ एवं पर्यावरण प्रबन्धन की लागत रूपये 100 करोड़ है। प्रस्तावित परियोजना में सीमेन्ट उत्सर्जन पर नियत्रंण करने के लिये सीमेन्ट प्लान्ट में सी.आर.ई.पी. के दिशानिर्देशों एवं धूल उत्सर्जन की रोकथाम के लिये सी.पी.सी.बी के दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा।

वर्तमान तक कुल 212.54 हेक्टेयर क्षेत्र मे पौधारोपण किया जा चुका है जो कि कुल क्षेत्रफल का 55 प्रतिशत है। विद्यमान संयंत्र तथा आवासीय परिसर का कुल क्षेत्रफल 388.37 हेक्टेयर है। प्रस्तावित परियोजना के लिये 2000 कि.ली. जल, 85 कर्मचारी एवं 115 अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इस परियोजना में लगने वाले कच्चे माल की आपूर्ति आस–पास के क्षेत्र से की जायेगी। प्रस्तावित सीमेन्ट प्लान्ट में ड्राई प्रोसेस तकनीक को उपयोग में लाया जायेगा, कैप्टीव पॉवर प्लान्ट में सी.एफ.बी.सी. बॉयलर, एयरकूल्ड कण्डेनसर का उपयोग किया जायेगा, जिससे पानी की खपत कम होगी। परियोजना क्षेत्र में दिसम्बर 2009 से फरवरी 2010 में पर्यावरण से संबंधित आधारभूत अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के दौरान 10 स्थानों पर वायु गुणवत्ता, ध्वनि स्तर का विष्लेषण, जल की गुणवत्ता एवं मृदा की गुणवत्ता की जांच की गई और सभी पैरामीटर सी.पी.सी.बी. के निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत पाया गया है।

पर्यावरण प्रदूषण प्रबन्धन के बारे में जानकारी देते है श्री शुक्ला ने बताया कि संयत्र की अंदर धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये अत्याधुनिक कुशल ई.एस.पी/बैग हाउस स्थापित किये जायेगें। सभी स्थानातंरण बिन्दुओं पर बैग फिल्टर लगाये जायेंगे, कन्वेयर बेल्ट एवं भण्डारण क्षेत्र को पूर्ण रूप से ढंका जायेगा, नियमित तौर पर परियोजना क्षेत्र में सड़को पर जल छिड़काव किया जायेगा। उपरोक्त सभी उपाय मौजूदा संयत्र में पहले से ही काम मे लिये जा रहे है एवं भविष्य में भी लिये जायेगें। जल प्रबन्धन के बारे मे जानकारी देते हुये यह बताया गया कि इस परियोजना से किसी भी प्रकार का अपशिष्ट

जल उत्पन्न नही होगा। जल की आवश्यकता खदान में संग्रहित वर्षा जल, एस.टी.पी. द्वारा पुनःचक्रित जल द्वारा पूर्ण की जायेगी। जल की आवश्यकता को कम करने के लिये थर्मल पॉवर प्लान्ट में एयरकूल्ड कण्डेनसर का उपयोग किया जायेगा। प्लान्ट एवं कॉलोनी में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की जायेगी, जिससे क्षेत्र के जल स्तर को नियंत्रित किया जा सके।

उच्च ध्वनि स्तर मे काम करने वाले कर्मचारीयों को निजी सुरक्षा उपकरण जैसे इयर मफ एवं इयर प्लग उपलब्ध कराये गये है एवं आगे भी कराये जायेगें। उच्च हरित पट्टिका का विकास प्लान्ट मे किया गया है जो ध्वनी प्रदूषण के रोकथाम में सहायक होगा। ध्वनी स्तर का निरंतर विश्लेषण किया जायेगा ओर उसके अनुसार उपकरणों के रख–रखाव के उपाय किये जायेंगे। सीमेन्ट निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट उत्पन्न नही होते एवं पॉवर प्लान्ट से उत्पन्न होने वाली राख का सीमेन्ट उत्पादन में प्रयोग किया जायेगा। संयंत्र तथा आवासीय परिसर का कुल क्षेत्रफल 388.37 हेक्टेयर है जिसमें 212.54 हेक्टेयर यानि 55 प्रतिशत क्षेत्र पहले ही वृक्षारोपित किया जा चुका है। संयंत्र द्वारा पड़कीडीह से बलौदाबाजार सड़क मार्ग पर 5200 पेड़ एवं पड़कीडीह से सकलोर मार्ग पर 12000 पेड़ लगाये गये है। प्रबन्धन द्वारा सुरक्षा समिति का गठन किया गया है जिसमें प्रबन्धन एवं कर्मचारियों की संयुक्त भगीदारी सुनिश्चित की गई है जिसके अन्तर्गत दुर्घटना की रोकथाम, सुरक्षा हेतु प्रचार, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निति को लागू करना आदि कार्य सुनिश्चित किये गये हैं। सामाजिक दायित्व नीति के अन्तर्गत ग्रासिम इन्डस्ट्रीज ''हमारे लोग, हमारा प्रयास और सबका विकास'' पर विश्वास करती है। इसी के अन्तर्गत मुख्य संकेन्द्रित क्षेत्र शिक्षा और क्षमता विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दीर्घकालिक आजीविका, कृषि और जल संसाधन विकास, आधारभूत संरचनाओं का विकास, सामाजिक गतिविधियों पर कार्य करना सम्मिलित है। शिक्षा के सहयोग के लिये 1407 विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति, 12 प्रथामिक विद्यालयों में बर्तन का वितरण, गणवेष का वितरण, विद्यालय भवन निर्माण में सहयोग, उच्च विद्यालयों में कम्पयूटर प्रदान करने जैसे अनेक कार्य उद्योग द्वारा किये गये हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र में परिवार नियोजन शिविरों का आयोजन, मोतियाबिन्द शिविरों का आयोजन, निःशुल्क स्वास्थ्य जॉच शिविर जैसे कई अन्य शिविरों एवं स्वास्थ्य संबन्धित सुविधाओं का आयोजन ग्रासिम इण्डस्ट्रीज द्वारा किया जाता है एवं भविष्य में भी किया जायेगा। स्व–रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं के लिये किया जाता है। ग्रासिम इण्डस्ट्रीज द्वारा कृषक प्रशिक्षण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण, जैविक खाद निर्माण मे सहयोग, दो पहिया वाहन मरम्मत दुकान खोलने में सहयोग जैसे कई अन्य कार्य किये जा रहें हैं। अधोसंरचना विकास में सामूदायिक भवनों के निर्माण में सहयोग, मुख्य सडक मार्ग का निर्माण, कसहीडीह में पुलिया का निर्माण, शाला भवनों का निर्माण जैसे अन्य कार्य भी किये गये है। ग्रासिम इण्टस्ट्रीज द्वारा चुचरूंगपुर तक पक्की सड़क का निर्माण, स्कूल कमरे का निर्माण, शाला में शौचालय का निर्माण, पीने के पानी के लिये पाईप लाईन और पानी टंकी, झीपन रोड का निर्माण आदि प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त बोर पंप का मरम्मत एवं एक नया सम्बर्सिबल पंप कसहीडीह में, तालाब के एक भाग की मरम्मत नेवारी में, छिराही पहुॅच मार्ग का मरम्मतीकरण एवं शासन के सहयोग से कुछ और भी कार्य आस–पास के गॉव में करना प्रस्तावित है।

5. अपर कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने जनसामान्य से इस परियोजना से पर्यावरण पर होने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव के बारे में उनके सुझाव एवं आपत्ति आंमत्रित की तथा आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गये सुझाव एवं आपत्ति को यहां अभिलेखित कर, केन्द्र सरकार को बिना किसी कांट–छांट के भेजा जायेगा।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 **श्री राकेश वैष्णव अध्यक्ष छत्तीसगढ विकास मंच** बलौदा बाजार ने कहा कि मैं यह जानना चाहता हूॅ कि जो भी जनसुनवाई आयोजत की जाती है, तो जनता के भावना के अनुरूप, जनता जैसी चाहती है, उसके अनुरूप कार्यवाही होती है या जो आयोजक चाहतें है, उसके अनुरूप कार्यवाही होती है। पूर्व में दो तीन जनसुनवाई हो चुकी है उससे ऐसा कहीं भी प्रतीत नही होता कि जनता के मुताबिक सुनवाई हुई हो।

2 **अपर कलेक्टर श्री के.एल. चौहान** ने कहा कि जनता जो बात कहती है उस बात को यथावत अभिलिखित किया जाता है और पिछले जन सुनवाई में देखा होगा की हमने उसकी फोटोकॉपी भी उपलबध कराई थी। अन्य कोई बात भारत साकार को नही पहुॅचाई जा सके इसलिये जो आप दर्ज कराते हैं, वही बात टाईप कर भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को पहुॅचा दिया जाता है। इसकी फोटोकॉपी जो ग्राम पंचायत प्रभावित होतें है उनको भी उपलब्ध करा दिया जाता है। आयोजक के मंशा के अनुरूप जैसी बात बिलकुल भी नही है। प्रशासन भी आप ही की तरह उस संस्थान को सुनने को आता है, कि जनता के साथ अहित तो नही किया जा रहा है। प्रशासन की उपस्थिति इसलिये अनिवार्य होती है कि जनता को गुमराह करके कोई गलत काम नही करा सके।

3 **श्री शोभाराम वर्मा ग्राम झीपन** ने कहा कि मैं ग्रासिम सीमेंट से प्रभावित हूं। मेरी 5 एकड़ जमीन माईन्स से लगी हुई है, जिसमें मैं फसल ले रहां हूं। इस जमीन को लेने के लिये कंपनी ने मुझे बाध्य नहीं किया है, और न ही प्रताड़ित किया है। इस परियोजना से कुल आठ गांव प्रभावित होते है। उन्होने कहा कि ग्रासिम के मौजूदा संयंत्र के आने से पहले हमारा पूर्ण रूप से इस संयत्र के लिये विरोध था इसलिए हमने एक किसान संघर्ष समिति की स्थापना की थी और यह संघर्ष समिति प्रशासन से नियमित तौर पर मिलकर अपने समस्याओं के बारे मे अवगत कराती थी। उस समय हमने यह पाया कि प्रशासन को समस्या अवगत कराने से पहले ही ग्रासिम प्रबंधन उसे सुलझा देता था। इस उद्योग के उद्घाटन समारोह मे हमने यह पाया कि संयत्र के पैकिंग प्लान्ट के अन्दर काम करने वाले कर्मचारी हमारे ही गॉव के है एवं गेट पर खड़े सिक्यूरिटी गार्ड भी हमारे ग्राम वासियो में से है। कंपनी द्वारा क्षेत्र के लोगों को एम्बुलेंस सुविधा एवं अन्य आर्थिक सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। कंपनी द्वारा शेक्षणिक स्तर के आधार पर स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ग्रासिम सीमेंट की माईन्स जिसे छोड़ दिया गया है, उसमें पशुओं के लिये चारागाह तथा डेयरी फार्म है। झीपन क्षेत्र में बकरी पालन संभव नही था वही आज हजारों बकरियॉ यहां पल रही है एवं हमारे मवेशियों के लिये चारागाह भी उपलबध हुआ है। मै इस संयंत्र विस्तार का इसलिए समर्थन करता हूं कि लोगों को रोजगार मिला है एवं कई अन्य सुविधाएं इस उद्योग के यहां लगने से मिली है, लोगों की आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ है। पहले सिर्फ दो–तीन पक्का मकान हुआ करते थे वहीं आज दो–तीन कच्चे मकान दिखते है। मैं चाहता हूॅ कि फैक्टरी खोलने की अनुमति दी जाये। यदि भविष्य में हमें लगता है कि प्रबन्धन अपने किये हुये वादों पर पूरा नही करता है तो हम फिर वही आन्दोलन करेगे जो इस उद्योग के आने से पहले किया था।

4 **श्री लखन साहू, प्रगतिशील सीमेन्ट श्रमिक संघ के कार्यकारी सचिव** ने कहा कि जनसुनवाई के उद्देश्य को समझने की आवश्यक्ता है। यह दुख की बात है कि ग्रासिम सीमेन्ट में कुल 250 स्टाफ, 250 कर्मचारी, मुख्य ठेकेदारों के 700 श्रमिक एवं छोटे ठेकेदारों के 400 श्रमिक कार्यरत हैं, इसमें मैं यह कहना चाहता हूॅ कि स्थानीय लोगों को रोजगाार में प्राथमिकता नही दी गई एवं जिन्हे रोजगार मिला है उन्हे भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन जो कि रूपये 151 है, जिसे नही दिया जा रहा है। माईन्स के संबंध में राज्य सरकार को कोई सरोकार नहीं रहता है, कि यह केन्द्र सरकार से संबंधित है। सी.जी.आई. आर. एक्ट 1948 में लागू हुआ है, जिसे छ.ग. सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसियेशन द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन में यह तह किया गया है कि सीमेंट इण्डस्ट्रीज़ में यदि किसी मजदूर

को काम से निकाल दिया जाता है तो वह मजदूर इसको चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य सरकार को सीमेंट इण्डस्ट्रीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इस परियोजना के उद्योगपति आकर हमारी खनिज संपदा का दोहन करते है और हमें हमारी जमीन का उचित मूल्य भी नही देते इसलिए यदि इस परियोजना में कियी भी तरह की भूमि की आवश्यकता हुई तो मैं अपने भाईयों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने जमीन न दें।

5 **श्री संदीप पाण्डे बार कांग्रेस अध्यक्ष** ने कहा कि भारी मात्रा में पुलिस व्यवस्था इस जन सुनवाई में क्यो लाई गई। ग्रासिम में किसी भी व्यक्ति को अन्दर बने बैंक, पोस्ट ऑफिस की सुविधा लेनी हो तो उसे अन्दर आने की अनुमति नही दी जाती है। ग्रासिम ने मूलभूत सुविधाएं अपने परिसर में कर रखी हैं एवं आस–पास के ग्रामीणों को उसका लाभ नही मिलता है। संयंत्र के अधिकारियों से मिलना बहुत ही मुश्किल होता है जो कि नहीं के बराबर है।

6 **श्री लोकेश कुमार ग्राम पडकिडीह** ने कहा कि ग्रासिम की आने से यहॉ लोगो का विकास हूआ है मेरी उम्र 22 वर्ष है और ग्रासिम को यहॉ 12 वर्ष हो चुके है ओर मैने देखा है कि ग्रासिम के आने से पहले यहॉ की स्थिति कैसी थी और उसके बाद कैसा सुधार हुआ है, जो कहते है कि ग्रासिम से आने से नुकसान हुआ है वो गलत कहते है। यदि आप लोगो को इतनी आपत्ति है तो अपने घर की दीवारें सीमेन्ट की बजाय मिट्टी से क्यो नही बनाते। यहॉ मैं अपने विचार रखने आया हूॅ।

7 **श्री मानसिंह लहरी, ग्राम रावन** ने कहा कि उनके पास खेतीहर जमीन थी जो कि अब ग्रासिम की अन्दर चली गई जिसका कि मूल्य भी हमे नही दिया गया। मेरे पिता का देहांत तो पैसे की आस मे ही हो गया। मेरे 10 भाई बहन है और कोई भी आठवी पास नहीं है। मेरी जमीन पर कब्जा किया गया है मैंने आई.टी.आई 76 प्रतिशत अंको से पास की है एवं अपना बायोडाटा लेकर जब मैं ग्रासिम में अप्रैन्टिस के लिये आवेदन देने गया तो गार्ड ने मुझे अन्दर जाने नही दिया और पूछा कि क्या आप कार्मिक विभाग में किसी को जानते हो तो मैंने कहा नहीं, तब उस गार्ड ने अन्दर जाने की अनुमति नही दी। आज मैं यह जानना चाहता हूॅ कि क्या मुझे यहॉ पर अप्रैन्टिस की नौकरी मिलेगी या नही अथवा मेरी जमीन का मुआवजा ही दिला दिया जावे।

8 **श्री ओमनाराण वर्मा, सरपंच औरांसी** ने कहा कि जब उद्योग स्थापित होता है तो अनुबंन्ध शासन द्वारा किया जाता हैं, इस उद्योग को स्थापित करने के लिये जो केबिनेट व मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग इसका अनुबन्ध करते है सुनवाई यहॉ होती है, ढेर सारी विसंगतियॉ है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है। इसके लिये शासन व प्रशासन में बैठे हुये लोग जिम्मेदार है न कि यहां की जनता जिम्मेदार है। ग्रासिम प्रबन्धन अगर अपनी वादा से मुकरती है तो उसके लिये वो जिमेदार है। शासन व प्रशासन में बैठे हुये लोगो को क्या चाहिये, ये सब जानते हैं, यह कहने कि जरूरत नही है। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जाता है और ऑखो में धूल झोका जाता है। ये जो काम करने वाले लोग है जो ग्रासिम में नौकरी करते हैं, हमारा भी कोई काम करता है। यह सुनिश्चित कराया जावे कि इस क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र के प्रभावित गॉवों की मूलभूत समस्याओ का निदान करने के लिये कदम उठाये जाये। जिन शर्तों की तहत उद्योग स्थापना करने के लिये अनुबंध किया जाता है उन शर्तों का पालन कराया जाये। इसका पालन नहीं किया जाता तो इसके लिये जनता जिमेदार नहीं है इसके लिये शासन व प्रशासन में बैठे हुये लोग जिमेदार है व मिनिस्टर ऑफ एनवायरोनमेन्ट के लोग जिम्मेदार है। आज मुझे बहुत पीड़ा हो रही है मैं भी एक जन प्रतिनिधि हूॅ आज हमारे पास इस तरह की कोई पावर्स नही है, पावर्स है उसके इस्तेमाल नही कर सकते, पावर्स का उपयोग तो शासन व प्रशासन में बैठे हुये बडे ओहदेदार लोग करते हैं। नेता आज घोषणा करतें हैं, जिसे पॉच

साल में पूरा नही कर पातें है। मैं ये नही कहना चाहता कि हमें इतने सारे पैसे अनुदान स्वरूप में मिल जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि विकास में तेजी आये, कार्य में तेजी आये, ये प्रयास सभी का होना चाहिये। मैं सम्मानित जन प्रतिनिधियो से निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग आवाज उठाता है उनकी आवाज दबा दिया जाता है उसके लिये कौन जिमेदार है, आप सबको समझना है। आप सबको जानना है, इस तरह की उपेक्षा ठीक नहीं है, मैं आप सबकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, आपकी भावनाओ को समझ रहा हूं। इस क्षेत्र का अपेक्षित विकास हो जाना चाहिये था, आज तक क्यो नही हुआ, क्या हमारे आपके कारण नही हुआ, या शासन प्रशासन में बैठे हुये बडे लोगो का कारण नही हुआ, यहॉ तो बहुत सारे लोगो ने आंदोलन किये ढेर सारे अधिकारी आये चल दिये, ग्रासिम आज यहॉ स्थापित है, ग्रासिम कही नही गया अधिकारी लोग आये चल दिये, नेता आज कोई बना कल कोई और बन जायेगा, पर ग्रासिम को लंबे समय तक काम करना है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि विकास सुनिश्चित कराया जाये। यह तो विस्तारीकरण की बात है, इसके लिये कोई जमीन की जरूरत नही है, अपनी जमीन में विस्तार करना चाह रहा है। हॉ रही बात मानव श्रम की बात है, तो इस क्षेत्र के शत प्रतिशत लोंगो को रोजगार दिया जाना सुनिश्चित कराया जाये।

9 **श्री एम.एम. तिवारी, इकाई प्रमुख ग्रासिम सीमेन्ट** ने कहा कि यह बालक हमारा अपना बालक है एवं इस बारे में हमे किसी तरह की जानकारी नही थी। मैं इस बारे में चर्चा करके एवं प्रशासन के साथ पूरी जांच पड़ताल कर, एक से डेढ़ माह के अन्दर यदि उस बच्चे को पैसा नही मिला है तो उसे पैसा मिल जायेगा। मुझे इस बालक ने पहले इस बारे में अवगत नही कराया और जैसा कि उसने बताया कि आई.टी.आई 80 प्रतिशत अंक प्राप्त हुये है और 12वी में भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ है। मैं इस बालक को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कल ही प्लान्ट, रावन में मिलकर आवेदन दे सकता है और मैं उसके लिये संयत्र के अन्दर उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराऊॅगा। मैंने ऐसा महसूस किया है कि उसे घर चलाने के लिये रोजगाार की आवष्यकता हैं। मैं यदि आफिस में होता तो आज ही उसे नियुक्ति पत्र प्रदान कर देता, पर मैं आप सब को खास तौर पर उस बालक को आश्वस्त करता हूँ कि वह कल से ग्रासिम परिवार का सदस्य बन जायेगा।

10 **श्री चैतराम वर्मा, ग्राम रावन** ने कहा कि ग्रासिम सीमेन्ट ने मेरे लड़के को अपने आई.टी. आई. में प्रशिक्षण दिया एवं अपने यहॉ अप्रेन्टिस के पद पर नियुक्त किया। ग्रासिम से आने से यहॉ का जीवनशैली में बहुत सुधार हुआ है।

11 **श्री मोती लाल वर्मा, ग्राम चुचरूंगपुर** ने कहा कि पहले मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि ग्रासिम विस्तार के संबन्ध में जन सुनवाई के कार्यक्रम में आने के लिये किस बात का डर था, कि इतने पुलिस कर्मी की जरूरत पडी। मेरा पहला प्रश्न यही है कि सभी किसान खाली हाथ आये हैं, और गुहार लेकर आये हैं, तो फिर इनसे क्या डर था, जो इतने पुलिस कर्मी लेकर आये। आप कई दिनो से अखबार में देख रहे होगे कि जन सुनवाई कार्यक्रम होने वाला है, मैं इस जन सुनवाई के बारे में बात करने के लिये क्षेत्रीय अधिकारी व कलेक्टर के पास पिछले 28 तारीख को दीपावली के पहले गया था, इसके कागज़ पेपर लेकर गया था कि अधिकारी महोदय इसके विस्तार की बात नही होनी चाहिये। कंपनी वाला है, उद्योगपति है, पॉच गुना वा दस गुना विस्तार करे तो हमे कोई आपत्ति नही है, लेकिन वह जो लगाये हुये हैं, उसका कोई कार्यक्रम पूरा नही हूआ है, वादा नही निभाया गया है, मैं इस बात का निवेदन किया हूँ। मैं अपर कलेक्टर के पास भी गया था, क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि हम लोकसुनवाई स्थगित नही कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान नही है। हम इस संदेश को पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को लिखे हैं, और जरूरत पड़ी तो हम किसान भाईयो को लेकर दिल्ली भी जायेगें। यह अपने प्लांट क्षेत्र को कहते है कि 388 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्लान्ट लगाया गया है। अभी फोटो में दिखाया है कि 55 प्रतिशत क्षेत्र में

हरित बेल्ट लगाया गया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सीमेन्ट प्लांट के लिये कितने हेक्टेयर जमीन की जरूरत होती है और रहवासी के लिये कितने जमीन की जरूरत होती है, कृपया करके मुझे बताओ। सौ हेक्टेयर में हमे गिना दो कि क्या क्या पेड़ लगे है, कितने पेड़ लगे है या पर्यावरण मंडल अनुबन्ध में कितना पीपल, कितना आंवला, कितना इमली लगा कितना पेड़ करंज का है, इसका जवाब देने के लिये तैयार हों और कितना पेड़ लगाया गया है, इसकी जांच होनी चाहिये। आपके पर्यावरण के अनुबंध में आदेश रहता है कि कितना पेड़ पीपल का है, कितना पेड़ आंवला का है और कितनी प्रजाती का है, इसके बाद आपके ऑफीस में आयेगें ओर पूछेंगे और जरूरत पडी तो दिल्ली जायेंगे, जब तक इसका निराकरण नही होगा तब तक कोई सरकार प्लांट नही लगवा सकती है, नहीं तो ये सब हमारे किसान भाई आये है सब अपने प्राण भी दे सकते है। यह सारी बातें पर्यावरण की हो गई। हमारा कोई भाई इस बात से खुश है कि प्लांट आने से हमारी चाय की दुकान चल रही है, एक बोल रहे है कि हमारे पास एक साईकल थी आज चार मोटरसाईकल हैं, प्रदूषण इतना बड़ा है कि जाकर देख लें। वे बोल रहे है कि 23 सामुदायिक भवन बनाये है, मैं तीन का चेलेंज करता हूँ कि दिखादें, कागज़ मे लिख दे, फोटो दिखादे, ये हमारे जन प्रतिनिधि से लिखवादे कि ठीक ठाक है। हमारे किसान भाईयो को तो मरना है। मैं इनके अधिकारी से रोड के लिये बोला कि, चुचरूंगपुर के लिये जो आज बीस साल हो गया एक पत्थर भी नही डाले हैं, ग्रासिम विकास के लिये प्रभावित गॉव में सरकार के तरफ से आदेश है कि काम होना चाहिये, पर 18 साल हो गया मैं ग्रासिम प्रबन्धन को चुनौती देता हॅू कि एक साल का 20 प्रतिशत के हिसाब से 18 साल के कार्यक्रम का विवरण दें तो ग्रामीण विकास की बात को मान जाऊॅगा, कि ग्रासिम द्वारा विकास का काम किया गया है। क्षेत्रीय अधिकरी महोदय, कलेक्टर महोदय हम आपके लिखित में ये सब बातें आप से कर चुके हैं, कि यहॉ पर जो भी जनसुनवाई होगी उसमें आप जो भी बोलेंगे, वो सब बात लिखकर दिल्ली भेज देंगे। ये हम लोगो को गुमराह करने की बात है, अनुमति भले ही दिल्ली सरकार दे रही होगी, लेकिन उसका ऑख–कान बन कर तो आप ही लोग आये हैं। खपराडीह में क्या हो रहा है, चुचरूंगपुर में क्या हो रहा है, रावन में क्या हो रहा है, उसका ऑख और कान बन कर क्षेत्रीय अधिकारी महोदय व कलेक्टर महोदय आप आये हैं, आप जो रिपोर्ट दे देगें उसको ही मानेगें। यहां तो मैं भी बोल रहा हॅू उसे आप चेक करा ले और अगर हम झूठ बोल रहे हो तो जो भी सजा की प्रावधान हो वो हमे मंजूर है, उसके बाद बात करे, मंजूर करे। लेकिन उसके पहले जो रोकथाम के लिये जरूरी है वह होना चाहिये। प्लान्ट बनना चाहिये उससे हमें रोजगार मिलेगा प्लांट विस्तार कर रहा है कार्य करने के लिये मजदूर की जरूरत होनी चाहिये लेकिन आप पुस्तक उठाकर देखें प्लांट का विस्तार हो रहा है लेकिन मजदूर की जरूरत नही पड़ रही है और प्लांट के विस्तार के लिये पुस्तक में लिखा है कि प्लांट तीन गुना बढ़ रहा है। वो सब दिखा रहें है, पावर बढ़ा रहा है, लेकिन श्रमशक्ति कितनी बढ़ा रहा है यह कही पर नहीं बताया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय और क्षेत्रीय अधिकारी जी आपसे निवेदन करता हॅू अपनी सारी बातें सुन ले लेकिन क्या ये बतायेंगे कि कितनी श्रमशक्ति की जरूरत है। हमारे किसान भाईयों के ऑख को बंन्द करके राज पाठ कर लेगें, उद्योग को बढा लेंगें, भले ही प्लान्ट चला लेंगे, अब समय संघर्ष का आ गया है। यहॉ पर बैनर पोस्टर लिये आदिवासियों को मैं नही बुलाया हूँ, उसके बाद भी सैकडो लोग आये हैं। चौहान साहब आपसे मैं निवेदन करना चाहूॅगा कि आप शायद इस संबंध में कार्यवाही भी प्रांरभ कर दिये हैं। मुझे पता चला हैं कि आज भी वही प्रावधान है जो ग्रासिम प्रबन्धन को जमीन की जरूरत के समय शर्त मंजूर की गई थी, उसमें कलेक्टर महोदय का स्पष्ट निर्देष है कि एक एक सदस्य को नौकरी दिया जाये। यहां का जो राजा है उनको आये चार साल हो गये हैं, इन 62 लोगों के साथ क्या हुआ, क्या होना चाहिये था, इनसे कभी भी आपने पूछा है। उन लोगो को क्यों नौकरी नही दी गई, यह बात मैं श्री एम.एम. तिवारी जी से पूछना चाहता हॅू, आदरणीय तिवारी जी जवाब दीजिये। इन गोंड लोंगो की जमीन लिये हुये आज 20 साल हो गये हैं, जन प्रतिनिधियों से विधायक लोंगों

से मैं पूछना चाहता हूॅ कि इनके परिवार को नौकरी क्यों नही मिली, यह बतायें तथा इसको सदन में रखें। आदिवासियों के संबंध में क्या प्रावधान है, यह जानकारी दिलवाने का कष्ट करें। एक बात बोल रहा हूॅ कि अनुसूचित जाति, आदिवासी और रावन के जो रेलवे लाईनवाला है, उसमें मेरे गॉव के किसान की भी जमीन है, जिनके पास रोजगार हेतु न्यायालय का आदेश है। आदरणीय कलेक्टर महोदय जो ग्रामीण विकास अधिकारी है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिये आपको गलत जानकारी देते हैं। वे जो बोल रहें है कि दाल दे रहे है, चावल दे रहे है वो अपना चेहरा दिखाने नही आते हैं। ग्रामीण विकास अधिकारी किस किस गॉव में सामुदायिक भवन बनवाया कितनी लागत से बनवाया इसका जवाब भी यहॉ देवे। 20 साल में कितना लाख रूपये खर्च कियो प्रभावित क्षेत्र के लिये ग्रामीण विकास अधिकारी यहॉ आकर उसका जवाब दें। वो 23 गॉव के भवन को तो बता दे वो जो बोल रहे है कि सामुदायिक भवन बनाया हूॅ वो एक दम झूठ है, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आयें और बताये कि कितना भवन बना हैं। हमें भी यह बता दे कि कहॉ कहॉ बना है कितनी लागत से बना है। कितना स्कूल बना है, कितनी लागत लगी है, कुछ इस्टीमेट होगा वो दिखा दे। सुनवाई दो प्रकार है एक प्लंन्ट वा माईन्स का है और पर्यावरण संतुलन के संबंध में जो सुनवाई के लिये आये है, लेकिन सबसे बडा प्रदूषण, जो सामाजिक व आर्थिक प्रदूषण है। आदमी लोग अपने स्वार्थ के लिये कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे है। इसका निराकरण कैसे होगा ये चिंता का विषय है।

12 **श्री राजकमल सिंघानिया, माननीय विधायक कसडोल** ने उपस्थित जनसमुदाय से अनुरोध किया कि वे प्रबन्धन को अपना पक्ष रखने का अवसर दे। उद्योगो के लिये यह ज़रूरी है कि वे आस–पास के जनसमुदाय से जुड़े तथा उनकी लंबित समस्याओं को समाधान करने में सहयोग प्रदान करें, तथा जनसमुदाय के सभी प्रश्नों का समाधान करें।

13 **डॉ0 के.वी रेडडी, ग्रासिम सीमेन्ट** ने कहा कि हमारे पास सभी सवालो के जवाब है कुछ के जवाब हम अभी देगें ओर जहॉ पर विस्तृत जानकारी की ज़रूरत है वो हम लिखित रूप में क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल, अपर कलेक्टर बलौदाबाजार तथा जिन महानुभाव ने यह जानकारी मांगी है, उन्हे लिखित रूप में उपलब्ध करायेंगे। उन्होने बताया कि वर्तमान में परियोजना 28 हेक्टेयर पर लगी है, प्रस्तावित परियोजना के लिये 36 हेक्टेयर, कालोनी 50 हेक्टेयर पर एवं हमारे पास 61 हेक्टेयर खुला क्षेत्र है जिस पर और वृक्षारोपण किया जायेगा जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। दूसरी जानकारी के बारे में उन्होने बताया कि इस क्षमता विस्तार में 85 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी एवं 115 अकुशल एवं अर्धकुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। उन्होने जन समुदाय को बताया कि जब क्षमता विस्तार मौजूदा संयत्र के परिसर मे ही होता है तब हर कार्य के लिये नई मानवशक्ति की आवश्यकता नही होती क्योंकि बहुत से तकनीकी कार्य विद्यमान मानवशक्ति द्वारा ही किये जाते हैं। परियोजना में लगने वाले 4000 घनमीटर जल की आपूर्ती माईन पिट में एकत्रित वर्षा जल द्वारा की जायेगी तथा भूजल का उपयोग नही किया जायेगा।

14 **श्री एम.एम. तिवारी, इकाई प्रमुख ग्रासिम सीमेन्ट** ने कहा कि मैं अपने प्रबन्धन की और से यह सुनिश्चित करता हूॅ कि दस दिनों की अन्दर जिन ग्रामीणो की भूमि का मुआवजा नही दिया गया है उसकी छान–बिन की जायेगी।

15 **श्री राजकमल सिंघानिया, माननीय विधायक कसडोल** ने कहा कि जिनकी जमीन ली गई है यदि उस परिवार को नौकरी नहीं मिली, जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, तो दस दिन के अन्दर प्रदान किया जाये तथा उन्हे अपने संयत्र में रोजगार भी उपलब्ध कराया जाये। प्रबंधन को जनता के साथ जुड़ना चाहिए। खपराडीह माइनर प्लांट मे दरवाजे तक आकर रूक गई, अनुबंध के समय प्रबंधन ने लिखा है कि प्रबंधन अपने खर्च पर या तो

प्लांट के बीच मे से दूसरे छोर तक नहर माइनर को पहुंचायेगा या फिर अहाता के किनारे से निकालकर उस पार पहूंचा देगा। मैने सिंचाई विभाग को 13 तारीक को बैठक कर के इसका निराकरण हेतु निर्देशित किया है। परिसर के अंदर उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाओं अस्पताल, बैंक, पोस्ट–ऑफिस आदि को आम जनता के लिए खोला जाना चाहिए, उसके लिए गेट पास की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए या फिर ये सुविधाएं गेट के बाहर कर दी जाये। पर्यावरण के जो विविध पहलु है जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, परिवहन पर्यावरण तथा सामाजिक पर्यावरण, जिसका कि मोतीलाल जी ने जिक्र किया, इन सब बिंदुओं के ऊपर प्रबंधन को ठोस कदम उठाने चाहिए। किये गये वादों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। उन्होने कहा कि वे उद्योगीकरण के विरूद्ध नही है परंतु जब तक उद्योग आस–पास के ग्रामीणों के साथ मिलकर कार्य नही करेगा एवं उन्हे मूलभूत सुविधायें प्रदान नही करेगा तब तक हमारे क्षेत्र में उद्योगीकरण संभव नही है। उन्होनें प्रबन्धन से कहा कि वे इन मुद्दों पर गौर करे एवं दस दिनों के अन्दर इनका निराकरण करें।

16 **श्रीमति लक्ष्मी वर्मा, मान्नीय अध्यक्षा जिला पंचायत** ने कहा कि इस जन सुनवाई को निरस्त करने के लिये मैं अपनी बात रख रही हूँ। मैं विगत तीन माह से कंपनी के संर्पक में हूँ। मेरे प्रतिनिधी अनुपम अग्रवाल ने जानकारी मांगी थी वह आज तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। ये यहॉ चारागाह बनाने आये यह हमारे लिये बिडंबना की बात है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गया, हमारे भाईयों ने आपको जमीन दी हैं, उनकी मंसा थी कि उनको काम मिलेगा। पहले जमीन एक के नाम थी, अब उसके दस खाते अलग–अलग हो गये हैं तो आपको दस लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। आप कहते है कि, एक परिवार के जमीन को आप 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख में ले लिये हैं, तो आप सोचते हैं कि, वे सिर्फ आपको जमीन दिये है, लेकिन उन्होनें आपको खनिज संपदा दी हैं। आप उसकी खनिज संपदा का जिन्दगी भर, 20 साल तक दोहन कर रहे हैं। आपने कहा है, कि 100 प्रतिशत, 99 प्रतिशत यहॉ के लेबर हैं, मेनेजमेन्ट मे 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत, तकनीकी सेक्टर में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत होगें। हमें दिखायें कि आप 100 प्रतिशत लेबर रखने की बात कह रहें है क्या उनमें से 50 प्रतिशत भी किये है? तो आपकी और संयत्र लगाने की बात बिल्कुल शांति से स्वीकार हैं। प्रदूषण जो तीन गुना बढ़ेगा उसे हमे ही झेलना हैं, हमारी जनता को झेलना है, न कि आपको। कॉलोनी के अन्दर जो स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधा मुहैया कराते है, वह आपके वकर्स तक ही सीमित हैं, न कि गांव तक। आप जनजागरण का काम कर रहें हैं। लेकिन इसकी गति एक प्रतिशत हैं। इसे हम जनजागरण नहीं मानते हैं। जब विकास की बात हुई तो आपने बता दिया कि, 23 सामुदायिक भवन बनाये हैं, यह बनाया है वह बनाया है, हम सभी जन प्रतिनिधि चलने के लिये तैयार है। मुझे लगता है कि वहॉ पहले से जो भी पंच, सरपंच पहले भी रहें होगें, वह इसे बता दे, कि उन्हें आप लोगों ने पूरी तरह बनवाया है, हो सकते है आपने वहॉ चार बोरी सीमेन्ट, दस बोरी, पन्द्रह बोरी सीमेन्ट दी हो। अगर मैं झूठी हूँ तो इसे साबित करें। आपने अभी–अभी चुचरूंगपुर की सड़क बनाना शुरू किया है, जबकि विगत 15 सालों से आपकी ट्रान्सपोर्टिंग चल रही है। आपका ध्यान अभी तक क्यों नही गया? ठीक आपके अधिकारी बदल गये है, पाढ़ी साहब कहते कि वे लगातार बैठकें ले रहें हैं, मैं सहमत हूँ। मेनेजमेन्ट के जिस अधिकारी को पूर्व में जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होनें क्यों नहीं निभाया? इन सबकी जानकारी आदित्य बिड़ला के अधिकारी व मेनेजमेन्ट पता करे कि पूर्व के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नही की, कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं किया और ऐसी स्थिति आने दी, तो क्यों हम चाहेंगे कि, आप लोग प्लान्ट की केपेसीटी बढ़ाये और उसका सारा भार हम झेलें? हम चाहतें हैं कि आप व्यवसाय से फायदा कमायें और हमारें 10 लोग भी काम करें। अभी जो संयत्र चल रहा हैं, उसकी जमीन हमारे किसान भाईयों की है। आपको जितनी जमीन की जरूरत थी, उससे 10 गुणा आपने पहले ही खरीदकर रख लिया है। मेरा पूरा विरोध है, ऐसी जन सुनवाई का जो कि पूरा ढकोसला है, कोई मतलब नही है। आप 10 दिनों के अन्दर जो कमियॉ है, उन्हें पूरा करते है तो, फिर से

जन सुनवाई कीजिये। अगर आप वास्तव में विकास करना चाहतें हैं तो, आप उद्योग लगायें आपका स्वागत हैं अन्यथा ऐसे विस्तार को मेरा प्रणाम। जिन किसानों की जमीन उन्हें उसका मुआवजा आज की दर से प्रदान किया जाये।

17 **श्री राजकमल सिंघानिया, माननीय विधायक कसडोल** ने कहा कि वे श्रीमति लक्ष्मी वर्मा से सहमत हैं। पहले उपरोक्त समस्याओं का दस दिन के अन्दर निराकरण कर लिया जाये, फिर 15 तारीख के बाद किसी भी दिन जनसुनवाई कराई जायें, अन्यथा हम सभी जनप्रतिनिधी और हम दोनों विधायक इस जनसुनवाई को अवैध घोषित करतें है।

18 **श्री कृष्णा पाढ़ी, ग्रासिम सीमेन्ट** ने कहा कि उठाये गये सभी मुद्दो पर विचार किया जा रहा है एवं मैंने उसे पॉच बिन्दुओ मे बांटा है – एक खपराडीह मे नाला, दूसरा ग्रामीणों के लिये मूलभूत सुविधाएं जैसे बैंक, पोस्ट आफिस, अस्पताल, तीसरा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिये रोजगार, चौथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जमीनों का मुआवजा, पॉचवा सामाजिक दायित्व। उन्होने बताया कि हमने कभी यह नही कहा की 23 सामुदायिक भवन हमने बनाये है। हमने सिर्फ सामुदायिक भवन बनाने में सहयोग किया है अतः किसी भी प्रकार की गलतफहमी का शिकार ना हो। अगर कोई गलतफहमी हुई है तो मै मॉफी मांगता हूं एवं पुनः दुहराता हूं कि हमने केवल सहयोग किया है तथा यह हमने अपनी प्रस्तुति मे भी दिखाया है।

19 **श्रीमति लक्ष्मी बघेल, मान्नीय विधायका बलौदाबाजार** ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि इस जनसुनवाई की कार्यवाही को जारी रखा जावे एवं प्रबन्धन को जवाब देने का मौका दिया जावे।

20 **श्रीमति अदिति बाघमार मान्नीय अध्यक्षा जनपद पंचायत** ने कहा हम लोगों के जवाब सवाल का उत्तर मिलेगा और हम भी चाहतें हैं कि आप लोगों ने जो पॉच मांगे रखी हैं, प्रबंधन इसको ध्यान में रखे और मुआवजा वाली बात उसे भी, आदिवासी को जमीन का मुआवजा देने वाली और जिन्हें नौकरी नहीं मिली हैं। उसके लिये हम सहमत हैं, जैसा कि श्री सिंघानिया जी ने भी कहा हैं। आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि प्रबंधन से भी आप लोगों को जवाब मिलेगा। वो लोगों को भी अपना राय बतायें। दोनों की बातें आप सुनिये, प्रबंधन की ओर से आये हुये विभागीय अधिकारी सारी समस्यायें पहले सुनिये। आप इनकी बातों को सुनेंगें तभी यह जनसुनवाई का कार्यक्रम सफल हो पायेगा। नहीं, हम यह नहीं बोल रहें हैं कि हम कंपनी का सपोर्ट कर रहें हैं।

21 **श्री थानेश्वर बाघमार** ने कहा कि प्रत्येक को बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है एवं जो इस अधिकार का हनन करता एवं जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश करता है, उस पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

22 **श्रीमति अदिति बाघमार, मान्नीय अध्यक्षा जनपद पंचायत** ने कहा कि कंपनी वालों ने हमारे लिये किया हैं। बताइये, कंपनी वाले से किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं हैं। स्वास्थय से लेकर शिक्षा तक इन्होनें हमारा सहयोग किया हैं। इसलिये मैं चाहती हूॅ कि मेरे ग्रामवासियों को इनका विरोध नहीं करना चाहिये। जनसुनवाई का खुलकर सकारात्मक रवैया होना चाहिये क्योंकि हम जनता का अहित नहीं कर रहें हैं और किसान भाईयों का अहित नहीं कर रहें हैं। हम अपने किसान भाईयों के साथ हैं। आप इनका सहयोग करती हैं। आप इनका सहयोग कीजियें क्योंकि कंपनी आपका पूरा सहयोग करती हैं। आप लोग खुद जानते हैं। खपराडीह के लिये कंपनी ने बहुत कुछ किया हैं। आप इनका सहयोग कीजिये। इसे स्थगित मत कीजिये।

23 **श्री धनश्याम वैष्णव, ग्राम सरसेनी** ने कहा कि पर्यावरण आज हमारे लिये बहुत ज़रूरी है मेसर्स ग्रासिम सीमेन्ट ने आज अपने संयंत्र के अन्दर सैकड़ों, हजारो, लाखों विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे लगाये हैं जो कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिये ज़रूरी है। इस काम को आगे बढ़ाते हुए ग्रासिम ने गांव में एवं सड़क के किनारे भी पेड़ लगाए है। ग्रासिम इण्डस्ट्रीज ने आस–पास के ग्रामीणों लिये बहुत कुछ किया है, रोजगाार उपलब्ध कराया है अतः मैं यहॉ उपस्थित जन सामान्य से निवेदन करता हूॅ कि वे इस प्लान्ट के लगने में समर्थन दे और इसका विरोध ना करे।

24 **श्रीमति लक्ष्मी वर्मा, मान्नीय अध्यक्षा जिला पंचायत** ने कहा कि हमारे क्षेत्र में प्लॉन्ट नही लगना चाहिये। दुनिया में उद्योगों की भरमार है। उद्योग के बिना हम विकास नही कर सकते हैं, तो हम भी आपके पक्षधर हैं, लेकिन आपकी निति और आपकी ज्यादती के साथ में नहीं हैं। हम यहां की जनता की नीति के अनुसार हैं, और जनता की नीति यही है कि उसको आपसे रोजगार चाहिये और यहां स्थापित बिड़ला समूह के दो उद्योगों और रायपुर जिले में ऐसे अन्य उद्योग हो सकते हैं, जिनके द्वारा मुझे नही लगता है कि रोजगार दिया गया होगा। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते अपनी बात रख रही हूॅ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के सचिव हैं, और वो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और मैं उस जिम्मेदार जगह की जिला पंचायत अध्यक्ष हूॅ। जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, तो जनता की जो बात है, जो इन्डस्ट्री की खामी है उसको मैं रख रही हूं। जो यहॉ जन प्रतिनिधि हैं, जनता है उन सभी को आप कनविन्स कर दीजिये, और यह तो आपको करना ही पड़ेगा। आज तक आपने क्या किया, यह भूल जाईये। आप कहतें है कि मेनेजमेन्ट में पुराने अधिकारियों ने नही किया, हमने अभी ज्वाईन किया है, अभी सारे जनप्रतिनिधि यहॉ पर बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में उद्योग के 100 प्रतिशत लेबर है स्थानीय क्षेत्र के हों। आप अभी भी बाहर से लेबर ला रहे हैं, हमारे क्षेत्र में लेबर नहीं हैं क्या, हमारे क्षेत्र के लेबर को फैक्टरी मे जगह दीजीये। जो लोग मैनेजमेन्ट के लायक है उन्हे मैनेजमेन्ट में जगह दीजीये, जो स्किल्ड है उन्हे स्किल्ड में नौकरी दीजीये, आप पूरी तरह चाहते हैं कि हम आपको सहयोग करें, और हमारे क्षेत्र की जो जनता है, उसकी धन संपत्ति, जमीन जायदाद लेने दें। उद्योग नीति में व्यवस्थापन की व्यवस्था है, मैंने बहुत गहरी स्टडी की है। आप जमीन के बदले जमीन दें, अगर इन्डस्ट्री लग रही है तो उसमें रोजगार दे दीजीये, सारी जनता संतुष्ट हो जोयेगी। आपने कितने प्रतिशत जनता के साथ न्याय किया है, आप रिकार्ड रख दीजीये, आईना आपके सामने है, पूरा साफ हो जायेगा कि आपने क्या किया है, और क्या नहीं। हम कहीं उद्योग के विरोधी नही हैं, अगर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं उसे क्लियर कर दूॅ कि कोई भी जनप्रतिनिधि उद्योग लगने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये भी स्पष्ट कर दूॅ कि आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी कि सोच है और सत्ता पक्ष के लोग है हम, और उनकी नीति के तहत छत्तीसगढ़ में उद्योग आ रहे हैं, उनकी सोच है कि छत्तीसगढ़ में उद्योग लगना चाहिये, यहॉ की जनता का विकास होना चाहिये। आज ग्रामीण सेक्टर में इतना काम हो रहा है, और ग्रामीणों के अन्तिम लोगों तक लाभ पहुंचना चाहिये, मूल में स्किल्ड डेवेलपमेन्ट होना चाहिये, इसलिये जगह–जगह हमारे शासन के द्वारा शिक्षा के लिये तकनीकि संस्थान लगाये जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम उस सत्ता के मेंबर हैं, उस सत्ता के प्रतिनिध होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूॅ, कोई भी जनप्रतिनिध आये और अपनी बात रखे, मुझे कहीं कोई आपत्ति नही है, चूंकि मैं तो अपनी बात रख रही हूॅ और जिला पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे अपनी बात रखने का जैसा दायित्व है और मैं जो अपनी जिमेदारी समझती हूॅ वैसे ही आये हुये सारे प्रतिनिधि अपनी बात रखें। मैं कही कोई सरकार का विरोध नही कर रही हूॅ, ना ही मेरा विरोध है इन्डस्ट्री का।

25 **श्री सुनील माहेश्वरी, जिला पंचायत सदस्य, सिमगा** ने कहा कि अभी तक सुनी गई सभी बातों का निष्कर्ष ये है कि उद्योग तो लगना चाहिये पर कुछ शर्तों के अनुसार, हो

सकता है कि मेरा अभिमत आपके अभिमत से भिन्न हो। कुछ लोग यहां संयंत्र के पक्ष में, कुछ विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से सुने और अंत में अपना निर्णय लें। इस सुनवाई में जिस पंडाल के नीचे हम बैठे हैं और जिस माईक पर हम बोल रहे हैं, मंच जिस पर अधिकारी बैठे हैं, ये सारी व्यवस्था प्लान्ट द्वारा की गई है। मैं शासन से अनुरोध करना चाहूॅगा एवं पर्यावरण के अधिकरियों से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को जरूर लिपिबद्ध करें, कि इस व्ययस्था में किया जाने वाला खर्च वे उद्योग प्रबन्धन से लेकर स्वयं इस सुनवाई का आयोजन करें, ताकि हमे यह महसूस ना हो कि हम किसी उद्योग प्रबन्धन की छत्र छाया में बैठे हैं। मैं आप ग्रामीणों को जनसुनवाई का मतलब समझाना चाहूॅगा कि इस सुनवाई में सिर्फ आपकी आपत्ति दर्ज की जायेगी, जबकि दो वर्ष पहले इस परियोजना को ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। जनसुनवाई उद्योग लगने की दिशा में आखरी पड़ाव है। मै यह कहना चाहता हूॅ कि यह कार्यवाही उस समय की जाती और हमारे सुझाव एव आपत्ति उस समय दर्ज किये जाते और उस पर कार्यवाही होती तो आज इतनी परेशानी नही झेलनी पड़ती। ऐसी व्यवस्था किया जाना आवश्यक है कि, जिस समय ग्राम पंचायत द्वारा उद्योग लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जावे उस समय, उस क्षेत्र की जनता की सहमति होनी चाहिये। जनता की आपत्ति, सुझाव आदि के अनुरूप ही ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना चाहिये। जनसुनवाई के पूर्व कंपनी द्वारा पर्यावरण विभाग को परियोजना से संबंधित जानकारी दी जाती है, जो हिन्दी एवं अग्रेंजी में होती है, जिसे पर्यावरण विभाग द्वारा परियोजना से संबंधित ग्राम पंचायतों में अवलोकन हेतु प्रदान किया जाता है, मेरा प्रश्न यह है कि अंग्रेजी एवं हिन्दी की किताबों में उद्योग से संबंधित जानकारी को जनता समझेगी कैसे। हमने पढ़ा है और बुजुर्गों से सुना भी है कि आजादी की लड़ाई में बिड़ला परिवार का महत्वपूर्ण योगदान था एवं आजादी के बाद देश की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने मे भी इस बिड़ला समूह का योगदान है। आज भी कोई व्यक्ति यदि हमसे घमण्ड से बात करता है, तो हम कहते हैं कि टाटा–बिड़ला हो गया है। इसका विपरीत अर्थ ना ले इसका सार समझने का प्रयत्न करें। यह हमारा सौभाग्य है कि इस समूह की इकाई हमारे क्षेत्र में है। इस परियोजना के हजार से ढाई हजार करोड़ के टर्न ओवर से जो रॉयल्टी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, उत्पादन शुल्क एवं अन्य राजस्व लगभग पांच से सात सौ करोड़ उत्पन्न होगा, और यह राजस्व केन्द्र एवं राज्य सरकार को प्राप्त होता है, तो सरकार उस क्षेत्र के विकास में इस राजस्व का कुछ प्रतिषत खर्च क्यों नही करती ? हमारी इस उद्योग से कई मांगें है, जैसे सामाजिक दायित्व के तहत हमारा विकास करे तथा हमारे क्षेत्र के शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये। मै कहता हूं कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब हम नये सी. एस.आर. की बात करें। जब गर्मी में रायपुर मे पानी की समस्या आई तो कलेक्टर रायपुर के कहने पर ग्रासिम ने 50 लाख रूपये खर्च करके तालाब खुदवाया, तो हमारे अपर कलेक्टर महोदय को भी जनभावनाओं के अनुरूप यहां पर सामाजिक कल्याण के कार्यों को करवाना चाहिए। उद्योग में बड़े ओहदे में नियुक्त लोग अस्थाई तौर पर रहते हैं, समय और नियम के अनुसार वे बदलते रहते हैं, किंतु उद्योग प्रबंधन में स्थाई रूप से क्षेत्र के व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिये, जो स्थानीय निवासियों की भावनाओं को समझे। मैं उनसे मांग करना चाहूॅगा कि वे हमारे क्षेत्र के बच्चों के साथ अनुबन्ध करे एवं उनकी शिक्षा में सहयोग प्रदान करें और उनके योग्य होने पर अपने संयत्र में उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलबध करायें। मैं यह जानता हूं कि किसी भी उद्योग के लगने से उस क्षेत्र का विकास निश्चित तौर पर होता है, यदि नवापारा या हथबंध कि तुलना ग्रासिम, रावन या हिरमी से करें तो यहां का जीवन स्तर उपर उठा है। यह साफ है कि आपके उद्योग लगाने से जीवन स्तर बढ़ता है परंतु उस किसान को क्या फायदा जिसने अपनी जमीन आपको दी है एवं उसे क्या रोजगार मिला ? यहां के बारह गांवों मे करीब दस से बारह हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि है एवं यहां की सोसाइटी के रिकार्ड के अनुसार इसमे एक लाख या सवा लाख क्विंटल धान से ज्यादा ऊपज नहीं होती है। मैं प्रबन्धन से कहना चाहूॅगा और ग्रामीणों को अवगत कराना चाहता हूॅ कि ग्रासिम में लगभग 3,00,000 बोरी प्रतिदिन सीमेन्ट

का उत्पादन हो रहा है। मैं किसान भाइयों की ओर से 25 पैसा प्रति बोरी की मांग रखता हूँ, इस प्रकार तीन लाख बोरी के पीछे तीन करोड़ रूपये वार्षिक राशि एकत्र होगी जिससे ग्रासिम प्रबंधन द्वारा रूपये 200.00 प्रति क्विंटल क्षेत्र के किसान भाइयों को बोनस दिया जा सकता है। मैं यह समझता हू कि औद्योगिक निति में कुछ विषयों पर निर्णय लेना आसान नही होता अतः यदि आपके उच्च प्रबन्धन की तरह से इन विषयों पर निर्णय होना है तो कृपया उन्हे पत्र लिख कर इन पर निर्णय ले, यदि आवश्कता हो तो हमारी तरफ से एक प्रतिनिध मंडल आपके प्रबन्धन के समक्ष अपना प्रस्ताव रखने के लिये तैयार है। मै चाहूँगा कि यहॉ बैठे परियोजना प्रबन्धन के अधिकारी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें और हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। हमारे द्वारा उद्योग का किसी भी तरह से विरोध नही हैं।

26 **श्री कृष्णा पाढ़ी, ग्रासिम सीमेंन्ट** ने कहा कि जो भी बात श्री माहेश्वरीजी ने कही वह उनकी नहीं हमारी ग्रामीण जनता की मांग है और इस बात को हम अच्छी तरह समझते है। उन्होने ग्रामीणों को अवगत कराया कि शासन को जाने वाले राजस्व का क्षेत्र के विकास मे ही प्रयोग किया जाता है एवं किसी भी क्षेत्र में उद्योग के आने एवं उसके विस्तार से क्षेत्र का विकास होता है। क्षेत्र के विकास में हमने अपने कदम बढ़ा दिये है पहले ग्रामीण हमारे पास आते थे अब हम उनके पास जाते है और उनके साथ बैठ कर उनकी समस्याओ को जानने की एवं उनका निराकरण करने पर विचार करते है। यहॉ होने वाली नियुक्तियों में सर्वप्रथम स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी यदि यहॉ कोई बी. एस.सी, एम.एस.सी, बी.टेक इत्यादी डिग्री धारक या कोई डिप्लोमा होल्डर है वह अपना बायोडाटा लेकर हमारे पास आ सकता है और हम उसकी योग्यतानुसार रोजगार संयत्र में अवश्य देंगे। नाले के संबन्ध में हमने शासन को लिखकर दिया है कि नाला हमारे प्लान्ट में से ना जाकर प्लान्ट के बाहर से जायेगा एवं इसमें लगने वाली शासन द्वारा निर्धारित राशि ग्रासिम द्वारा खर्च की जायेगी। प्रबन्धन पिछले कुछ समय से यह विचार कर रहा है कि मूलभूत सुविधा जैसे बैंक, पोस्ट आफिस इत्यादि का उपयोग करने में स्थानीय ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, इस संबंध में प्रबन्धन हल निकालने की कोशिश कर रहा है, ताकि ऐसी कोई परेशानी ग्रामीणों को न हो। श्री सुनीलजी द्वारा उठाये गये सवाल के बारे में हम हमारे मुंबई आफिस में पत्र लिख कर स्थानीय ग्रामीणों के हित में निर्णय लेने का प्रयास करेगें।

27 **श्रीमति सीमा वर्मा पूर्व जिला पंचायत सदस्य** ने पूर्व वक्ता श्री सुनील माहेश्वरी की किसानो से संबन्धित मागों से सहमति जताई। आज हमारी मांगने की बारी है हमे हमारे बच्चों के भविष्य के लिये संयंत्र से मांग रखना चाहिये। पहले हमारे पास ज्यादा जमीन व खेत हुआ करते थे पर परिवारों के बढ़ने से जमीन कम हो गई व जोत भी कम हो गई है। पूर्व की तुलना में आज लोगों में तकनीकि जानकारी का स्तर बढ़ा है, आस–पास के ग्रामीणों में जागरूकता का स्तर बढ़ा है। बच्चे बारहवीं तक पढ़ने के बाद सामान्यता पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसे युआवों को पहचान कर संयत्र उन्हे ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से तकनीकि पशिक्षण प्रदान करे। तकनीकि पशिक्षण प्राप्त युवाओं को इस संयत्र में रोजगार मिले या ना मिले, ऐसे युवा कहीं भी जाकर रोजगार प्राप्त कर सकते है। ऐसे युवावों को आई.टी.आई का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। बच्चे पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। उन्हे उनकी योग्यताओं के हिसाब से प्रशिक्षण दिलाया जाए। कम्पनी बढ़े और तरक्की करे।

28 **श्री कृष्णा पाढ़ी** ने कहा कि मैं श्रीमति सीमा वर्मा की मांग के संबन्ध में बताना चाहता हूँ कि हमने दुर्ग जिले के मारों आई.टी.आई को गोद लिया है। इस संस्था में हम मैनेजमेन्ट कोटे के तहत हमारे बच्चो को प्रवेश दिलायेगें। हम बारहवीं पास विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। हम पॉचवी पास बच्चों को नवोदय में प्रवेष के लिये प्रशिक्षण दिलाते है। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से हम बारहवी पास विद्यार्थियों के लिये

इन्जनियरिंग के प्रवेश के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, हमे गर्व होगा कि ग्रामीणो के लिये और कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा।

29 **श्री टी.आर. गायकवाड, सरपंच ग्राम पेण्ड्री** ने कहा कि तीन माह पहले जिन कामों के लिये प्रस्ताव दिया वो काम हो गये हैं। हम इस संयत्र के काम से संतुंष्ट है।

30 **श्रीमति अदिति बाघमार, मान्नीय अध्यक्षा जनपद पंचायत** ने कहा कि वे श्री सुनील माहेश्वरी व श्रीमति सीमा वर्मा की बातों से सहमत हैं कि प्रांतीय युवकों की रोजगार में प्राथमिकता बढ़े। हमारे ग्राम में ग्रासिम सीमेन्ट संयत्र द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काफी सहयोग किया गया है, इसके अलावा भी अन्य कार्यों में सदा इनका सहयोग मिलता रहता है। हम चाहते है कि स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दें यदि बाहरी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई तो हम इसका विरोध करेंगे। इस संयत्र से प्रदूषण नही फैलता है, फसल पहले जितनी और जैसी होती थी अब भी वैसे ही होती है। पास ही के सुहेला व सिलतरा क्षेत्र में काफी प्रदूषण व धूल है पर जनप्रतिनिधि इसके विरूद्ध आवाज नही उठाते है। यहां प्रदूषण बिल्कुल नहीं हैं हम चाहते है कि पोस्ट आफिस की सेवाएं संयत्र परिसर से बाहर होना चहिये। संयंत्र क्षेत्रीय जनता का हितों का हमेशा ध्यान रखे। गैस सिलेण्डर की सुविधा ग्रामीणों को भी मिलनी चाहिये।

31 **श्रीमति धनेभवरी बंजारे, सरपंच ग्राम पड़कीडीह** ने कहा कि तीन महीने पहले हमने जो भी मागें रखी, उस पर अमल हुआ। हमारे ग्राम में पचरी का निर्माण हुआ। ग्रासिम से सहयोग मिलता है।

32 **श्रीमति सरोज साहू, पंच एवं सदस्या स्व सहायता समूह** ने कहा कि हम ग्रासीम से जो भी मांग करते है वह पूरे किये जाते हैं। गॉव में स्वास्थ्य एवं पशु शिविर लगाये जाते हैं, जागरूकता शिविरों के माध्यम से साफ सफाई व अन्य जानकारियॉ दी जाती है। हमारे ग्राम में पचरी का निर्माण भी किया गया है।

33 **श्री टेक राम दिवाकर ग्राम चुचरूंगपुर** ने कहा कि आज से पन्द्रह साल पहले जब संयत्र नहीं था तब हमारे ग्राम मे पानी 500 फीट से भी नीचे था। प्लान्ट के द्वारा पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। खदान का गहरीकरण होने के बाद जल संरक्षण के कारण जल स्तर बढ़ा है, जहां तक ग्रामीण विकास का संबंध है, तो गॉव में विकास के कार्य किये गये हैं, गली कॉक्रीटीकरण के लिये सस्ते दर पर सीमेन्ट मुहैया कराया गया है, हमारे गॉव के बारहवीं पास युवक इस संस्था में कार्यरत हैं, सामुदायिक भवन व जय स्तंभ बनाने में सहयोग का आश्वासन मिला है, हमें प्रबंधन को हर तरह से सहयोग करना चाहिये। संयत्र के स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ग्राम के मेघावी बच्चों को पढ़ाने मे भी उद्योग का सहयोग मिलता रहता है, शिक्षा के क्षेत्र में इनका सहयोग पहले से ही मिल रहा हैं। आंगनबाड़ी व स्कूलों में टाट पट्टी तथा अन्य संसाधन दिये गये है। विकास के लिये संयत्र का सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहा है।

34 **श्री ओम नाराण वर्मा, ग्राम औरसी** ने कहा कि यहां कोई नया प्लांट स्थापित नहीं हो रहा है, मात्र क्षमता विस्तार किया जा रहा है। क्षमता विस्तार किये जाने से निश्चित रूप से प्रदूषण में वृद्धि होगी, जिसके रोकथाम के भी उपाय हैं। हमारे गॉव में हमने जिन कामों के लिये भी प्रस्ताव दिये है उनमे से अधिकतर कार्यो की स्वीकृति प्रबंधन द्वारा दी गई है। मैं चाहता हूॅ कि आस–पास के प्रभावित ग्रामों की मूलभूत समस्याओं का भी निदान हो।

35 **श्री तुलसी गोराई, रावन** ने कहा कि 02.08.1993 से मैं यहां पर हूं। पेड़ों को काट कर संयंत्र नही लगाया गया है। ग्रासिम आने के पहले रावन से हिरमी स्पष्ट नजर आता था,

अब पेड़ों के कारण काफी हरियाली है। खदान में जल संवर्धन के कारण भू–जल का स्तर बढ़ा है। पर्यावरण को संरक्षित रखने की दिशा में ग्रासीम द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं। संयंत्र का विस्तार होना चाहिये इससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा।

36 **श्री मनोज वर्मा, ग्राम झीपन** ने कहा कि ग्रासिम द्वारा काफी वृक्षारोपण किया गया है तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम किया गया है। जमीन का मुआवजा नही दिये जाने की बात त्रुटिपूर्ण है। संयंत्र के आने से ग्रामीण विकास में तेजी आयेगी।

37 **श्री संतोष नायक** ने कहा कि हमने ग्रासिम से जभी जो भी मांगा हमे मिला। दो वर्ष पूर्व हमने स्कूलों के लिये कम्पयूटर की मांग की हमे फौरन दिया गया। संयत्र द्वारा प्रदूषण रोकने के नवीन तकनीक के माध्यम से प्रयास किये गये है। इसलिये यहां पर प्रदूषण काफी कम है। हम प्रबन्धन से आग्रह करते है कि प्रभावित गांवों के किसानों को रियायती दरों पर सीमेन्ट उपलब्ध कराया जाये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुनरूद्धार के लिये 250 बोरी सीमेन्ट सहयोग स्वरूप प्राप्त हुआ है। यहां के बेरोजगार भाईयों को उद्योग से जुडे व्यवसाय करना चाहिये इसके लिये प्लान्ट सहयोग करे। निर्माण कार्य से संबंधित कार्य स्थानीय युवाओं से कराया जाये।

38 **श्रीमति लक्ष्मी बघेल, मान्नीय विधायका बलौदा बाजार** ने कहा कि क्षेत्र, प्रदेश और देश को आगे बढाने के लिये कृषि के साथ–साथ उद्योग जरूरी है। उद्योग द्वारा समस्त संबंधित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त कर लिया गया है। हमें विश्वास है कि इस जनसुनवाई के माध्यम से हम जो भी मांग रखेंगे, उसे कंपनी प्रबंधन द्वारा पूरा किया जायेगा। मुआवजा का निराकरण करना है, जिसकी जमीन गई है उसे नौकरी देना है। पर्यावरण प्रदूषण तभी होगा, जब मशीनों का उपयोग नहीं किया जायेगा। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में पांच सीमेंट उद्योग स्थापित हैं, जिनमें से किसी में भी प्रदूषण की समस्या नहीं है। कंपनी द्वारा ईमानदारी के साथ प्रदूषण निवारण हेतु मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। मैं ग्रासीम सीमेंट के विस्तार का स्वागत करती हूं। मैं यहां उपस्थित समस्त किसान व क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करती हूं कि उन्हें जब भी सहयोग की आवश्यक्ता होगी, मैं उनके साथ रहूंगी। मैं इस मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूं कि, जब–जब मैंने अपने पत्र के द्वारा मांग की है, योग्यता के हिसाब से नवयुवाओं को संयत्र में रोजगार दिया गया है, जिसके लिये मैं ग्रासीम प्रबंधन को धन्यवाद देती हूं। ग्रासीम द्वारा सीमेंट उत्पादन के अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते हैं, जो निश्चित रूप से हम सबको प्रभावित करता है।

39 **श्रीमति लक्ष्मी वर्मा, मान्नीय अध्यक्षा जिला पंचायत** ने कहा कि मेरे द्वारा किसानों की समस्या के संबंध में जो मांग रखी गई है, उसका निराकरण 10 दिनों के अंदर हो जाना चाहिये अन्यथा प्रबंधन के विरूद्ध संघर्ष जारी रहेगा।

अंत मे अपर कलेक्टर **श्री के.एल. चौहान** ने उपस्थित जनसामान्य को अवगत कराते हुये बताया कि ग्रासिम सीमेन्ट के द्वारा क्षमता विस्तार और खदान मे भी विस्तार की जन सुनवाई हुई है। जन सुनवाई में उपस्थिति विधायक श्रीमति लक्ष्मी बघेल जी बलौदा बाजार, सम्माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सीमेन्ट संयत्र के प्रमुख श्री एम. एम. तिवारी और उनकी पूरी टीम तथा इस क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं किसान बहुत ही ध्यानपूर्वक एवं अच्छे से आज की जन सुनवाई संपन्न हुई दो जन सुनवाई थी एक बारह बजे दूसरी तीन बजे लेकिन बीच में ब्रेक का कोई अवसर ही नही मिल पाया और लगातार जन सुनवाई चलती रही, बीच के व्यवधान को के अतिरिक्त चार–पांच घंटे की जन सुनवाई अच्छे से संपन्न हुई। जनसुनवाई के माध्यम से तीन बातें निकल कर आयी है जिसे प्रशासन को भी देखना होगा। पहली कुछ किसानों की जमीन ली गई है किसी कारण से उनकी कीमत नही मिल पाई है, उसे हमारे तहसीलदार और पटवारी द्वारा

मिलान किया जायेगा और अगर यह सिद्ध हुआ कि ग्रासिम सीमेन्ट के द्वारा उस किसान की जमीन ली गई है और पैसा नही दिया गया है तो एक–दो महीने के अन्दर इसका निराकरण किया जायेगा, इतना हम प्रशासन की ओर से आश्वासन देते हैं। दूसरा नहर वाली बात आई है, खपराडीह माईनर, जिसके संबंध में सिंचाई विभाग से रिपोर्ट ली गई है, सिंचाई विभाग और ग्रासिम के बीच पत्राचार हुआ है। एक साल से रूपये 2,54,70,000 का प्रोजेक्ट बनकर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता के कार्यालय में लंबित है, वहॉ से स्वीकृति जल्दी आयेगी और उसके आते ही कार्यवाही की जायेगी और जितना भाग ग्रासिम के अंतर्गत आयेगा उसका निर्माण ग्रासिम द्वारा किया जायेगा। तीसरा बात वृक्षारोपण के संबंध में हुई है, मैं खुद नही गया था और ना ही मैंने ग्रासिम से पूछा है, मैंने वन विभाग के रेंजर को वृक्षारोपण की जानकारी लेने भेजा था, रेंजर का कहना था कि 212 हेक्येर के क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है, जिसकी स्थिति अच्छी है। सड़क के किनारे जो वृक्षारोपण किया गया है, उसमें रखरखाव की आवश्यक्ता है। मेरा आग्रह है कि सड़क किनारे 10 कि.मी. में वृक्षारोपण हुआ है उसका भी रखरखाव किया जाये। पूर्व में जिन आदिवासियों की जमीन ली गयी थी और कलेक्टर कार्यालय से आदेश हुआ था उन्हे योग्यता के अनुसार परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जावे। उसमे करीबन 25 से 30 लोगो का नाम निकला है, जिसमें 8 किसानों का मिलान हो रहा है, नौकरी देना सिद्ध हो रहा है, बाकी किसानो की मैं जानकारी लूंगा। कल ही मोती वर्मा जी ने 20 किसानों की लिस्ट दी है, जिसे मैं कल ग्रासिम सीमेन्ट को भेजूंगा और उस 20 में से कितनों को नौकरी दी गई है, शेष जिन्हे नौकरी दी जानी है और यदि नहीं दी गई है, उन्हे आज की योग्यता के अनुसार नौकरी दी जायेगी। प्रशासन 2–3 बातों को टेकअप करेगी, पहला जमीन की कीमत नहीं मिली है व दूसरा जिनकी जमीन ली गई है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं दी गई है तीसरा वृक्षारोपण व चौथा नहर, ये तीन–चार मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण है उसे खुद मॉनिटरिंग करके पूर्ण करने का प्रयास करेगें। आज सभी जन प्रतिनिधियों ने सकारात्मक बातें की। सभी ने बताया ग्रासिम ने विगत एक साल से कुछ न कुछ कार्य किया है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, विधायक द्वारा बताये गये कामों को किया जा रहा है या किये जाने की उम्मीद है। ये खुशी की बात है कि ग्रासिम सीमेन्ट इतना अच्छा काम कर रहा है और भविष्य में जो भी मागें आती है उसे वह पूरा करे, इस तरह आपका सीधा–सीधा जनता से संपर्क बना रहेगा। स्थानीय लोगों को भी आप नौकरी दें। माननीय विधायका जी 12:00 बजे से आईं हैं और लगातार सहयोग कीं हैं। मान्नीय अध्यक्षा जनपद पंचायत, मान्नीय अध्यक्षा जिला पंचायत ने भी अंततः सहयोग किया। श्री सुनील माहेश्वरी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। बीच में ये बात भी आयी कि यहॉ पुलिस क्यों आई है, मैं यह बताना चाहता हूॅ कि पुलिस शक्ति प्रदर्शन के लिये नही आयी है और इस बात को ज्यादा महत्व ना दे। मैं सभी को प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूं कि यह दोनों जनसुनवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई तथा सीमेंट प्लांट के विस्तार एवं खदान के विस्तार की जनसुनवाई समाप्त घोषित की गई।

यह दोनो लोक सुनवाई दोपहर 12:00 बजे प्रारंभ होकर सांय 05:00 बजे संपन्न हुईं। लोक सुनवाई के दौरान कुल 07 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

अपर कलेक्टर,
बलौदाबाजार
जिला रायपुर (छ.ग.)